Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, February 16, 1973

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following Rules specifying the housing facilities to which the members of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled, namely :—

The Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973

1. Short Title, Extent and Commencement.—

(1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973 ;

(2) These rules shall come into force with immediate effect;

(3) These rules shall apply to the allotment of residential accommodation specified in Appendix 'B' to the members of the Rajasthan Legislative Assembly.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) ''Alloting Authority'' means the House Committee of the Rajasthan Legislative Assembly or any person duly authorised by the House Committee;

(b) ''Class'' in relation to a residential accommodation means the class of that residential accommodation specified in Appendix 'B';

(c) ''Day'' means a calendar day beginning and ending at midnight;

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 16, फरवरी 1973

जी. एस. आर. 64 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां) अधिनियम, 1956 (सन् 1957 का अधिनियम 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के गृहवास सुविधाओं, जिसके लिए वे हकदार होंगे, को विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार व आरम्भ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की निवासीय सुविधा) नियम 1973 है;

(2) ये नियम तुरन्त प्रभावशील होंगे;

(3) ये नियम राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को परिशिष्ट (ख) में विनिर्दिष्ट निवासीय सुविधा के आबंटन पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) 'आबंटक प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राजस्थान विधान सभा की गृह समिति अथवा गृह समिति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ख) ''वर्ग'' से किसी निवासीय सुविधा के सम्बन्ध में अभिप्रेत है परिशिष्ट (ख) में विनिर्दिष्ट उस निवासीय सुविधा का वर्ग;

(ग) ''दिन'' से अभिप्रेत है मध्य रात्रि को प्रारम्भ एवं अन्त होने वाला कलैण्डर दिन;

(d) ''Executive Engineer'' means the Executive Engineer, P.W.D. (B & R), City Division I, Jaipur or any other officer authorised by the Government to perform the functions of the Executive Engineer;

(e) ''Family'' includes only the wife, children, step-children, parents, brothers, their wives and sisters ordinarily residing with and wholly dependent on the member;

(f) ''Government'' means the Government of Rajasthan;

(g) ''House Committee'' means the House Committee of the Rajasthan Legislative Assembly;

(h) ''Member'' means a member of the Rajasthan Legislative Assembly, but does not include-

  (i) a minister as defined in the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1956 (Rajasthan Act 43 of 1956);

  (ii) an officer of the Legislative Assembly for the State as defined in the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957); and

  (iii) a Government Chief Whip or a Deputy Government Chief Whip or a Leader of the Opposition as defined in the enactment referred to in sub-clause (ii);

(i) ''Month'' means a calendar month;

(j) ''Penal rent'' means the rate or rent that may be equal to five times the House Rent Allowance to which a member is entitled in accordance with the rules;

(k) ''Rent'' means the rate of rent as given in column 2 of appendix ''D'';

(l) ''Secretary'' means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any other officer of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat for the time being performing the functions of the Secretary;

(घ) ''अधिशासी अभियन्ता'' से अभिप्रेत है अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) नगर खण्ड-1 जयपुर अथवा अधिशासी अभियन्ता के कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(ड) ''कुटुम्ब'' में सम्मिलित है केवल पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, भाई उनकी पत्नियां एवं बहनें, जो सामान्यत: सदस्य के साथ रहते हों और उस पर पूर्णतया निर्भर हों;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है राजस्थान सरकार;

(छ) ''गृह समिति'' से अभिप्रेत है राजस्थान विधान सभा की गृह समिति;

(ज) ''सदस्य'' से राजस्थान विधान सभा का सदस्य अभिप्रेत है, परन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :-

(i) राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 43) में यथा परिभाषित कोई मंत्री;

(ii) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) में यथा परिभाषित राज्य की विधान सभा का कोई अधिकारी; और

(iii) उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट अधिनियमिति में यथा परिभाषित सरकारी मुख्य सचेतक या सरकारी उप मुख्य सचेतक या विपक्ष का नेता।

(झ) ''मास'' से अभिप्रेत है कलैण्डर मास;

(ञ) ''शास्तिक किराया'' से अभिप्रेत है किराये की वह दर जो उस मकान किराये भत्ते के पांच गुने के बराबर हो जिसका सदस्य इन नियमों के अनुसार हकदार है;

(ट) ''किराया'' से अभिप्रेत है परिशिष्ट (घ) के कालम संख्या 2 में दी गई किराये की दर;

(ठ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है सचिव, राजस्थान विधान सभा एवं उसमें सम्मिलित है तत्समय सचिव के कृत्यों का पालन कर रहा राजस्थान विधान सभा सचिवालय का कोई अन्य अधिकारी;

(m) ''Sub-letting includes'' parting with the whole or part of the accommodation by an allotted, with or without payment of rent, but does not include a casual guest.

3. Allotment of residential accommodation.—(1) The Executive Engineer shall intimate to the House Committee the number and class of the vacant residential accommodation as soon as the same falls vacant.

(2) A Member seeking an allotment of residential accommodation shall submit an application in the form given in Appendix 'A' addressed to the Secretary.

(3) Applications received shall be entered in a priority Register to be maintained by the Secretary.

(4) Ordinarily the allotment shall be made in accordance with the strength of the various parties and groups in the Rajasthan Legislative Assembly and on the basis of the priority of the receipt of the applications. No allotment of accommodation shall, however, be made under these rules to a member who may be availing of accommodation facility as provided under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Housing Facilities) Rules, 1956 on annual rent basis.

(5) In case more than one applications are received on the same date, allotment shall be made by drawing lots :

Provided that preference shall be given to applicants desiring to stay with their families over those desiring to stay single.

(6) While making allotment, the House Committee may also, after due consideration, make out of turn allotment on any or all of the following grounds, namely :—

(i) When a member happens to be the Chairman or a member of one of the Committees formed for the purpose of transacting Assembly business; or

(ड) ''उप-पट्टे पर देने'' में सम्मिलित है किराये अथवा बिना किराये के वास-सुविधा के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग से विलग होना, परन्तु उसमें आकस्मिक अतिथि सम्मिलित नहीं होंगे।

3. निवासीय सुविधा का आबंटन :- (1) अधिशासी अभियन्ता, रिक्त निवासीय सुविधा की संख्या एवं वर्ग की सूचना उसके रिक्त होने के यथाशीघ्र गृह समिति को देगा।

(2) निवासीय सुविधा चाहने वाला सदस्य परिशिष्ट ''क'' में दिये गये प्रारूप में सचिव को सम्बोधित एक आवेदन देगा।

(3) प्राप्त हुए आवेदन सचिव द्वारा रखे जाने वाले पूर्विकता रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

(4) सामान्यतया आबंटन राजस्थान विधान सभा में विभिन्न पार्टियों एवं दलों की शक्ति के अनुसार तथा आवेदनों की प्राप्ति की पूर्विकता के आधार पर किया जायेगा। किन्तु इन नियमों के अधीन किसी सदस्य को वास सुविधा का आबंटन, यदि वह राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां) (गृह वास-सुविधा) नियम, 1956 के अधीन यथा उपबन्धित वार्षिक किराये पर आवास सुविधा का उपभोग कर रहा हो, नहीं किया जायेगा।

(5) एक ही दिन एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में आबंटन लाटरी डाल कर किया जायेगा :

परन्तु यह कि कुटुम्ब के साथ ठहरने के इच्छुक आवेदकों को अकेलेडर ठहरने के इच्छुक आवेदनों से अधिमान किया जावेगा।

(6) आबंटन करते समय गृह समिति सम्यक् विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर या सभी आधारों पर बारी से पहले भी आबंटन कर सकती है, अर्थात् :-

(i) यदि कोई सदस्य सभा के कारोबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए बनाई गई समितियों में से एक का अध्यक्ष अथवा सदस्य हो; अथवा

(ii) Illness or physical disability of the member; or

(iii) Other circumstances of the member warranting such allotment on priority basis.

(7) The Secretary shall communicate the decision of the House Committee to the member concerned requesting him to execute an agreement in duplicate in the form given in Appendix 'C'.

(8) On the execution of such an agreement, the Secretary shall intimate to the Executive Engineer accordingly and request him to handover the vacant possession of the residential accommodation to the member concerned.

(9) The key of the residence shall be made over by the Executive Engineer to the member himself or to any other person duly authorised by him in writing, after the member has himself executed an agreement in the form given at Appendix 'C'.

(10) The Executive Engineer shall intimate the date of occupation of the accommodation to the Executive Engineer, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur, Executive Engineer, Water Works, Superintendent, Gardens, Supervisor, Vidhayak Niwas, the Assembly Secretariat and other Government departments concerned.

(11) If a member fails to accept the allotment of the accommodation within 7 days from the date of receipt of the allotment order or fails to occupy it within 15 days :-

(a) the allotment order in his name shall stand cancelled and his name shall go down at the bottom of the list of the applicants of his category, maintained in the priority register;

(b) after cancellation of the allotment order, the accommodation shall be available for re-allotment.

(12) The allotment of residential accommodation shall be effective from the date on which its possession is taken by or on behalf of the applicant and shall stand terminated—

(ii) सदस्य की बीमारी अथवा शारीरिक नि:शक्तता; अथवा

(iii) पूर्विकता के आधार पर ऐसे आबंटन को समर्थित करने वाली सदस्य की अन्य परिस्थितियां।

(7) सचिव, गृह समिति के निर्णय से सम्बन्धित सदस्यों को परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रारूप में दो प्रतियों में करार निष्पादित करने का अनुरोध करते हुए संसूचित करेगा।

(8) ऐसे करार के निष्पादन के पश्चात् सचिव, अधिशासी अभियन्ता को तदनुसार सूचित करेगा एवं सम्बन्धित सदस्य को निवासीय सुविधा का खाली कब्जा देने का अनुरोध करेगा।

(9) अधिशासी अभियन्ता द्वारा निवास स्थान की कुंजी स्वयं सदस्य को अथवा उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य द्वारा स्वयं परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रारूप में करार निष्पादित करने के पश्चात् दी जायेगी।

(10) अधिशासी अभियन्ता वास-सुविधा के अधिभोग के तारीख की सूचना अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर, अधिशासी अभियन्ता, जल प्रदाय अधीक्षक, उद्यान, पर्यवेक्षक विधायक निवास, विधान सभा सचिवालय तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों को देगा।

(11) यदि कोई सदस्य आबंटन आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर वास-सुविधा का आबंटन स्वीकार करने में असफल रहता है अर्थात् 15 दिन के भीतर उसे अधिभोग में रखने में असफल रहता है तो :-

(क) उसके नाम का आबंटन आदेश रद्द हो जायेगा और पूर्विकता रजिस्टर में उसके वर्ग के आवेदकों की तैयार सूची में उसका नाम सबसे नीचे कर दिया जायेगा;

(ख) आबंटन आदेश के रद्द होने के पश्चात् वास-सुविधा पुन: आबंटन के लिये उपलब्ध हो जायेगी।

(12) निवासीय सुविधा का आबंटन आवेदक द्वारा अथवा उसकी ओर से उसका कब्जा लिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा, और

(a) one month after he ceases to be a member of Rajasthan Legislative Assembly :

Provided that in special circumstances State Government may extend the said period from time to time but in no case such period shall run beyond the date on which next Assembly is constituted.

(b) from the date it is cancelled or stand cancelled under these rules;

(c) from the date it is surrendered by the member concerned.

(13) Members having the same class of residential accommodation may, with the prior approval of the alloting authority, exchange them.

(14) A residential accommodation can be surrendered by a member as follows :-

(i) a member may at any time surrender an allotment made to him under these rules. Fifteen days notice in case of allotments for more than a month shall be necessary. If for any reason a member is unable to give due notice as prescribed above, he shall inform the alloting authority of the circumstances under which due notice could not be given;

(ii) a member desirous of vacating the residence shall hand-over vacant possession of the residence along with the key of the residence to the Executive Engineer concerned;

(iii) a member shall be treated to be in occupation of the residence allotted to him so long as he does not hand over vacant possession of the residence to the Executive Engineer after intimating the time and date of vacation.

(क) राजस्थान विधान सभा की उसकी सदस्यता समाप्त होने के एक माह के पश्चात् :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार, उक्त कालावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगी, किन्तु उक्त कालावधि किसी भी दशा में उस तारीख से आगे नहीं आयेगी जिस को अगली विधान सभा गठित हो।

(ख) इन नियमों के अधीन रद्द किये जाने अथवा रद्द हो जाने की तारीख से;

(ग) सम्बन्धित सदस्य द्वारा उसे अभ्यर्पण किये जाने की तारीख से पर्यवसित हो जायेगा।

(13) आबंटन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से एक ही वर्ग की निवासीय सुविधा रखने वाले सदस्य उसका विनिमय कर सकेंगे।

(14) किसी सदस्य द्वारा निवासीय सुविधा निम्नानुसार अभ्यर्पित की जा सकेगी :-

(i) इन नियमों के अधीन अपने को किये गये आबंटन को सदस्य किसी भी समय अभ्यर्पण कर सकेंगे। एक माह से अधिक के आबंटनों की दशा में 15 दिन का नोटिस आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश कोई सदस्य ऊपर यथा विहित सम्यक् नोटिस देने में असमर्थ है तो उस आबंटक प्राधिकारी को उन परिस्थितियों के बाबत, जिनके कारण वह सम्यक् नोटिस नहीं दे सका, सूचना देनी होगी;

(ii) निवास स्थान खाली करने का इच्छुक सदस्य, निवास स्थान का खाली कब्जा उसकी कुंजी के साथ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को देगा;

(iii) जब तक कोई सदस्य विधान सभा का खाली कब्जा अधिशासी अभियन्ता को खाली करने का समय तथा तारीख की सूचना देने के पश्चात् नहीं देता तब तक उसे आबंटित निवास स्थान का अधिभोगी माना जावेगा।

(15) A residential accommodation may be taken possessions of in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 9 of the Act.

4. House Rent Allowance.—Members [excluding those availing of accommodation facility on annual rent basis under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Housing Facilities) Rules, 1956 or those living in the allotted Government Accommodation] residing at Jaipur in the accommodation owned or hired by them shall be entitled to draw House Rent Allowance Rs.[#]7500/- per month with effect from [#]1st April, 2012 or from the date of such residential facility, whichever is later on production of a House Rent Receipt or a certificate that the House is personally owned or hired by them.

5. Payment of House Rent Allowance.—Payment of House Rent Allowance to members, who before the commencement of these rules, have been residing in hired accommodation and have also been allowed to draw house rent allowance, shall be continued under these rules.

6. Supply and Rent of Furniture.—(a) A member who has been allotted residential accommodation specified in Appendix 'B' shall normally be supplied by the P.W.D. furniture worth Rs. [#]80,000/- in the residence. Extra articles of furniture may be supplied to the allotee by the Executive Engineer on demand, if available. Payment of rent for the extra furniture shall have to the made by the allottee monthly to the Executive Engineer;

(aa) facility of furniture supplied to an allottee as aforesaid under clause (a) shall be available during the extended period of allotment under clause (a) of sub-rule (12) of rule 3 of these rules;

[#] Notification No. F7(1)sansad/2012 dated 14-6-2012 w.e.f. 1.4.2012

(15) निवासीय सुविधा को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कब्जे में लिया जा सकेगा।

4. गृह किराया भत्ता :-जो सदस्य [उन सदस्यों को छोड़कर जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (गृह सुविधा) नियम, 1956 के अधीन वार्षिक किराये के आधार पर गृह सुविधा का उपभोग कर रहे हों या जो सरकार द्वारा आबंटित वास सुविधा में रह रहे हों] जयपुर में अपने स्वामित्व की या किराये की वास-सुविधा में रह रहे हैं, गृह किराये की रसीद या इस आशय का एक प्रमाण-पत्र पेश करने पर कि वह गृह उनके निजी स्वामित्व या किराये का है, वे #1 अप्रैल, 2012 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चातवर्ती हो से #7500/- रुपये प्रति माह गृह किराया भत्ता करने के हकदार होंगे।

5. गृह किराये का संदाय :-उन सदस्यों को, जो नियमों के प्रारम्भ से पहले किराये के गृह में निवास कर रहे हैं एवं जिन्हें गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के अनुज्ञा भी प्राप्त हो गई है, इन नियमों के अधीन गृह किराये भत्ते का संदाय जारी रहेगा।

6. फर्नीचर का प्रदाय एवं किराया :-(क) सदस्य को, जिसे परिशिष्ट (ख) में विनिर्दिष्ट निवासीय सुविधा आबंटित की गई है, उसके निवास में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रुपये #80,000/- मूल्य के फर्नीचर प्रदाय किये जायेंगे। अतिरिक्त फर्नीचर की वस्तुएं आबंटिती को, उसकी मांग पर, यदि उपलब्ध हों, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदाय की जा सकेंगी। आबंटिती को अतिरिक्त फर्नीचर वस्तुओं का मासिक किराया अधिशासी अभियन्ता को देना होगा;

(कक) किसी आबंटिती को खण्ड (क) के अधीन पूवोक्त रूप में प्रदायित फर्नीचर की सुविधा इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (12) के खण्ड (क) के अधीन आबंटन की बढ़ायी गयी कालावधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

#अधिसूचना प.7(1)संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012, दिनांक 1. अप्रैल, 2012 से प्रभावी

(b) transfer of furniture between the members shall not be permissible;

(c) the extra furniture when not required by the allottee shall be handed over to the Executive Engineer and a receipt thereof shall be obtained;

(d) the allottees shall be responsible for the loss of and damage to articles of furniture beyond fair wear and tear. Cost of the articles, not returned to the Executive Engineer, shall be recovered from the allottees.

7. Unauthorised occupation.—(1) The allottee shall use the accommodation for his own residence and that of his family members only and under no circumstances shall be sublet to or share the residence with any other person, whether a member or otherwise or allow any person to occupy the same;

(2) A member shall, on unauthorised occupation or on subletting of residence or portion thereof including a garage or servant quarter allotted to him, :-

(a) be liable to pay penal rent; and

(b) be debarred from being allotted accommodation for a period of three years.

8. Fixation of rent.—Rent for each class of accommodation shall be fixed by the Government.

9. Recovery of rent.—(1) The member concerned shall deduct the rent from his salary bill every month and deposit the same in the treasury concerned in accordance with the procedure laid down by the Government from time to time.

(2) If a member fails to make payment of rent for three consecutive months, the tenancy shall be liable to be cancelled by the House Committee with consequent eviction.

(ख) सदस्यों के बीच फर्नीचर का अन्तरण अनुज्ञेय नहीं होगा;

(ग) आवश्यकता न होने पर आबंटिती द्वारा अतिरिक्त फर्नीचर अधिशासी अभियन्ता को वापस किया जायेगा व उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी;

(घ) उचित घिसाई के परे फर्नीचर की वस्तुओं के नुकसान एवं क्षय के लिये आबंटिती उत्तरदायी होगा। अधिशासी अभियन्ता को वापस नहीं की गई वस्तुओं का मूल्य आबंटिती से वसूली होगा।

7. अप्राधिकृत अधिभोग :- (1) आबंटिती वास-सुविधा का उपभोग स्वयं तथा केवल अपने कुटुम्ब के सदस्यों के निवास के लिये करेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उसे उप-पट्टे पर नहीं देगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ चाहे ऐसा व्यक्ति विधान सभा का सदस्य या अन्यथा हो, हिस्सा नहीं बटायेगा अथवा किसी व्यक्ति को उपभोग की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) कोई भी सदस्य उसको आबंटित निवास स्थान या उसके किसी भाग, जिसमें गैरेज या भृत्य गृह सम्मिलित है, के अप्राधिकृत उपभोग अथवा उसको उप-पट्टे पर देने के लिये :-

(क) शास्तिक किराया संदत्त करने का दायी होगा; तथा

(ख) तीन वर्ष तक की कालावधि के लिये वास सुविधा आबंटित किये जाने से विवर्जित हो जायेगा।

8. किराया नियतन :-प्रत्येक वर्ग की गृह सुविधा का किराया सरकार द्वारा नियत किया जायेगा।

9. गृह किराये की वसूली :- (1) सम्बन्धित सदस्य प्रत्येक माह अपने वेतन बिल से किराये की कटौती करेगा एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में उसे सम्बन्धित खजाने में निक्षिप्त करेगा।

(2) यदि कोई सदस्य तीन क्रमवर्ती माह तक किराया भुगतान करने में असफल रहता है तो गृह समिति द्वारा उसकी किरायादारी परिणामत: बेदखली के साथ रद्द किये जाने के योग्य होगी।

(3) For the purpose of these rules, the amount of last salary to the member shall be released on production of 'No Dues Certificate' when he/she ceases to be a member.

10. Electricity and water supply.—(1) A member allotted residential accommodation specified in Appendix 'B' shall have electric and water connections direct from the Rajasthan State Electricity Board and Water Works Department, respectively.

*(2) The bills on account of electricity and water supply (during the period of allotment and extended period of allotment if any, under relu 3) shall be paid by the member.

11. Liability for damage to property, etc.—(a) A member shall be personally responsible for any loss or damage to Government property supplied in the residence if the loss or damage occurs during his occupation of the residence.

(b) The member shall be responsible for the maintenance of proper sanitation in the residence, proper preservation of plants, lawn, etc.

12. Possession and supervision of residence and submission of vacant residence report.—The residence shall remain in the possession and supervision of the Executive Engineer who will submit fortnightly report of vacant residence to the Secretary on 1st and 15th of every month.

* Notification No. F7 (11) Sansad /87 dated May 8, 2006.

(3) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सदस्य को अन्तिम वेतन की रकम, जब वह सदस्य नहीं रहता/रहती, 'बकाया नहीं प्रमाण-पत्र' पेश करने पर ही दी जायेगी।

10. विद्युत एवं जल प्रदाय :-(1) सदस्य, जिन्हें परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट निवासीय सुविधा आबंटित की गई है, सीधे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं जल प्रदाय विभाग द्वारा क्रमश: विद्युत एवं जल कनेक्शन प्राप्त करेंगे ।

*(2) (नियम 3 के अधीन आबंटन की कालावधि और आबंटन की बढ़ायी गयी कालावधि, यदि कोई हो के दौरान) विद्युत एवं जल प्रदाय के बिलों का भुगतान सदस्य द्वारा किया जायेगा।

11. सम्पत्ति इत्यादि के नुकसान का दायित्व :- (क) वास सुविधा के अधिभोग के दौरान वास सुविधा में प्रदत्त सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि अथवा नुकसान के लिए वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसके वास सुविधा के अधिभोग के दौरान हानि अथवा नुकसान हुआ है;

(ख) सदस्य निवास स्थान में उचित स्वच्छता बनाये रखने, पौधों व लॉन इत्यादि के उचित परीक्षण का उत्तरदायी होगा।

12. निवास स्थान का कब्जा तथा पर्यवेक्षण और खाली निवास स्थान की रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना :-निवास स्थान अधिशासी अभियन्ता के कब्जे व पर्यवेक्षण में रहेगा जो सचिव, विधान सभा को प्रत्येक माह की पहली व पन्द्रहवीं तारीख को खाली निवास स्थान की पाक्षिक रिपोर्ट देगा।

---

* अधिसूचना संख्या प.7(11) संसद/87 दिनांक 8 मई, 2006 से प्रभावी।

13. Checking of residence.—The alloting authority may institute or cause to be instituted periodical checks of all residences either through the members of the House Committee or through an officer authorised by the House Committee, in this behalf, to ensure that no residences, garages, servant quarters, etc. are sublet or occupied in an unauthorised manner.

14. Repeal and saving.—The Residential Accommodation (Jaipur) Rules, 1956 shall be repealed, but all action taken heretofore under those rules shall be deemed to have been taken under these Rules.

[No. F. 12(3) Sansad/73]
By Order of the Governor,
K. D. Sharma,
Secretary to the Government.

13. निवास स्थान की जांच पड़ताल :- आबंटन अधिकारी यह विनिश्चित करने के लिए कि कोई निवास स्थान, गैराज, भृत्य निवास इत्यादि उप-पट्टे पर नहीं दिये गये हैं अथवा अप्राधिकृत रीति से अधिभोगित नहीं है, गृह समिति के सदस्यों द्वारा अथवा इस सम्बन्ध में गृह समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सभी निवास स्थानों की कालिक जांच पड़ताल संस्थित कर सकेगा या करवा सकेगा।

14. व्यावृत्ति एवं निरसन :-निवासीय वास सुविधा (जयपुर) नियम, 1956 निरसित होंगे, परन्तु उन नियमों के अधीन अब तक की गई सभी कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन की गई मानी जायेंगी।

[संख्या प. 12(3) संसद/73]

राज्यपाल की आज्ञा से,

कल्याणदत्त शर्मा

शासन सचिव।

Appendix 'A'

Rule 3 (2)

Form of Application for Government Accommodation for Residential Purposes

To,

The Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly,

Jaipur

I hereby apply for Government residential accommodation.

1. Name
2. Constituency
3. Pay
4. Allowances, if any
5. Number of adults and children in the family (Including relationship to the applicant)
6. State whether you have house property in Jaipur.
7. State whether you are a member of any of the Standing Committee of the Rajasthan Legislative Assembly.

It is certified that I am not availing of accommodation facility as provided in the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residentat Accommodation) Rules, 1973, any Government Residentat accommodation.

Signature....................

M.L.A.

Dated.............

(Division No..............)

परिशिष्ट 'क'

नियम 3 (2)

निवासीय प्रयोजनों के लिए राजकीय आवास सुविधा का प्रारूप

सेवा में,

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

मैं एतदद्वारा राजकीय निवासीय सुविधा के लिए आवेदन करता हूं :-

1. नाम
2. निर्वाचन क्षेत्र
3. वेतन
4. भत्ता, यदि कोई हो
5. कुटुम्ब में (आवेदक के साथ नातेदारी सहित) बालिगों एवं बच्चों की संख्या।
6. यदि आपके पास जयपुर में गृह सम्पत्ति हो तो वर्णन कीजिये।
7. यदि आप राजस्थान विधान सभा के किसी स्थायी समिति के सदस्य हों तो वर्णन कीजिये।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 में यथा उपबन्धित किसी राजकीय आवास सुविधा का उपभोग नहीं कर रहा हूं।

हस्ताक्षर

सदस्य विधान सभा

दिनांक.................. (विभाजन संख्या.............)

Appendix 'B'

Sl. No.	Class of residential accommodation	Number of Bungalows & Flats available	Location
1.	'B' Type M.L.A's Bungalows	18	Near Vidhayak Niwas behind the General Post Office, M.I. Road, Jaipur.
	'C' Type M.L.A's Bungalows	10	" "
2.	Flats in Vidhayakpuri	28	Behind All India Radio, Station Road, Jaipur.
3.	Flats Vidhayak Nagar (East)	42	
4.	Flats Vidhayak Nagar (West)	54	
5.	Gandhi Nagar M-Type	30	
6.	Gandhi Nagar N-Type	8	

परिशिष्ट 'ख'

क्र.सं.	निवासीय सुविधा	उपलब्ध बंगलों की संख्या	उपस्थिति
1.	विधान सभा के सदस्यों के 'ख' वर्ग के बंगले	18	विधायक निवास के निकट मुख्य डाक घर के पीछे, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर।
	विधान सभा के सदस्यों के 'ग' वर्ग के बंगले	10	,, ,,
2.	विधायकपुरी में फ्लेट	28	आकाशवाणी के पीछे, स्टेशन रोड, जयपुर
3.	विधायक नगर (पूर्व)	42	
4.	विधायक नगर (पश्चिम)	54	
5.	गांधी नगर एम-टाइप	30	
6.	गांधी नगर एन-टाइप	8	

Appendix 'C'

I ………………… hereby agree to the allotment of bungalow/flat No. …………………… subject to the following conditions :—

(a) that I shall pay to Government dues pertaining to such occupation by deduction from my salary every month and the Treasury Officer may be informed about the deduction;

(b) that I shall not sublet or share the quarter or any part of it with any person other than the members of my family; and

(c) that I shall abide by the Rules formulated from time to time in respect of sanitation, maintenance and proper preservation of quarters allotted to me.

Dated……………. Signature………………..

M.L.A.

(Division No……………..)

परिशिष्ट 'ग'

मैं………………..निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बंगला/फ्लेट संख्या……….के आबंटन से एतदद्वारा सहमत हूं :-

(क) कि मैं प्रत्येक माह अपने वेतन से कटौती करके ऐसे अधिभोग के सम्बन्ध में सरकारी शोध्यों का भुगतान करूंगा और खजाने के अधिकारी को कटौती के बाबत सूचित किया जायेगा;

(ख) मैं अपने कुटुम्ब के सदस्यों के अन्य किसी व्यक्ति को क्वार्टर अथवा उसके किसी भाग को उप-पट्टे पर नहीं दूंगा और न किसी के साथ हिस्सा बटाऊंगा; एवं

(ग) कि मैं मुझे आबंटित क्वार्टर में स्वच्छता, अनुरक्षण एवं उचित परिरक्षण के लिये समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन करूंगा।

तारीख………………   हस्ताक्षर

सदस्य, विधान सभा

(विभाजन संख्या………..)

Appendix 'D'

Sl. No.	Description of the Building	Rent chargeable per month	Standard Rent
M.L.A. Bungalows			
1.	'B' Type Quarters	Rs. 60/-	Rs. 25/-
2.	'C' Type Quarters	Rs. 45/-	Rs. 13/-
Vidhayakpuri Flats		Rs. 45/-	Rs. 15/-

Rent at the fixed rate would be payable for notice period also if an occupant gives notice of surrendering allotment prematurely and the house remains unoccupied during the period of notice.

परिशिष्ट 'घ'

क्र.सं.	भवन का वर्णन	प्रति माह प्रभार्य किराया	मानक किराया
विधान सभा सदस्यों के बंगले :-			
1.	''ख'' प्रकार के क्वार्टर	60 रुपये	25 रुपये
2.	''ग'' प्रकार के क्वार्टर	45 रुपये	13 रुपये
विधायकपुरी के फ्लेट		45 रुपये	15 रुपये

यदि कोई अधिभोगी आबंटन के समय पूर्व ही अभ्यर्पित करने का नोटिस दे देता है तथा उस नोटिस की कालावधि के दौरान गृह अनधिमुक्त रहता है तो नोटिस की कालावधि के लिये भी नियत दर से किराया संदेय होगा।